PHYSICSWALLAH LIMITED

Date: December 20, 2025

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 India	**BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 India
Scrip Code: 544609	**Symbol: PWL**

Sub: Newspaper Publication regarding completion of dispatch of postal ballot notice and intimation of remote e-voting facility

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated December 19, 2025, pursuant to the provisions of Regulations 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the advertisement published in following newspapers today i.e. Saturday, December 20, 2025, confirming dispatch of postal ballot notice through electronic mode, details of the remote e-voting facility and other related information :

1. Financial Express (English language); and
2. Jansatta (Hindi (vernacular) language).

This disclosure will also be hosted on the Company's website viz. https://www.pw.live/investor-relations

You are requested to take the above on record.

Thank you.

Yours sincerely,
For Physicswallah Limited

AJINKYA RAJENDRA JAIN

Digitally signed by AJINKYA RAJENDRA JAIN
Date: 2025.12.20 13:32:02 +05'30'

Ajinkya Jain
Group General Counsel, Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A33261

Pulses imports likely to fall 45% in FY26

SANDIP DAS
New Delhi, December 19

INDIA'S PULSES IMPORTS in the current fiscal are likely to decline by 45% to around 4 million tonne (MT) in FY26, from a record 7.34 MT in 2024-25, trade sources said citing adequate carry forward stocks and robust crop prospects. According to provisional data, in terms of volume, the pulse imports during April-October 2025-26 have declined by 33% to 2.37 MT compared to 3.54 MT during the same period last fiscal.

"During November and October, there is a projection of 0.5 MT of pulses import and overall in FY26 total imports would be around 4 MT which is a significant decline from the previous fiscal," Satish Upadhyay, secretary, India Pulses and Grains Association, told *FE*. Upadhyay said domestic crop prospects are robust and higher imports have ensured there are no supply constraints.

The decline in value of pulses import has been rather sharp, as the country during the first seven months of FY26 has imported pulses valued at $1.56 billion, a 45% drop compared to imports of $2.83 billion in April-October FY25.

ROBUST CROP

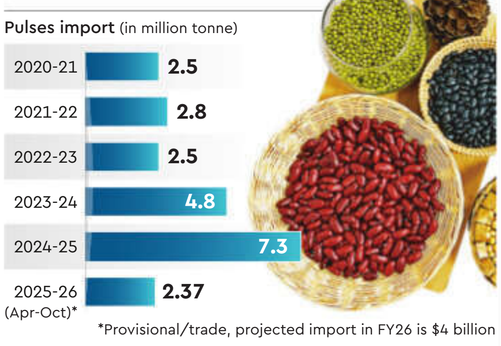

*Provisional/trade, projected import in FY26 is $4 billion

Official sources said that cost of imports have fallen by around 30% to 40% in the current year because of higher global output and low imports thus pulling down the prices.

In terms of varieties, arhar (pigeon pea) and masur (lentil) imports during April-October FY26 fell by 22% and 37% to 0.81 MT and 0.5 MT respectively compared to the same period in FY25.

However there has been a 27% rise in imports of urad to 0.64 MT in the first seven months of the current fiscal year.

India had allowed duty free import of yellow peas from December, 2023, after decline in chana output. The chana accounts for close to 50% share in country's pulses production.

Average imports of around 2.7 MT between 2018-19 and 2022-23, sharply rose to 4.8 MT in 2023-24 and hit a new record of 7.3 MT in FY25.

With a share of 29.5%, yellow peas have the largest share in total pulses imports in 2024-25, followed by gram (22%), tur (16.7%), lentil (16.6%) and urad (11.2%).

Crude import bill declines 11%

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, December 19

INDIA'S CRUDE IMPORT bill declined by 11% to $80.9 billion during April-November of FY26, compared with $91.9 billion in the year-ago period thanks to lower prices, according to data from the government's petroleum planning and analysis cell (PPAC). The country imported 163.4 million tonne (MT) of crude oil during April to November, up from 159.5 MT in the same period of previous fiscal.

India's reliance on crude oil imports increased to 80.2% during the period, up from 79.8% in April-November, 2024 amid rising demand. While the dependency increased, the country's domestic production of oil declined marginally by 1.5% during the period at 18.8 MT.

BARREL BENEFIT

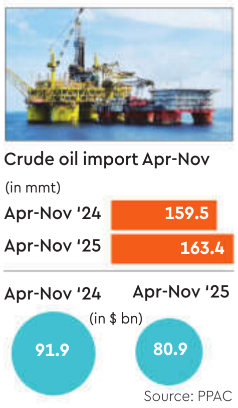

In November, the country imported 21.1 MT of crude oil, against 18.9 MT in the year-ago period. The import bill for last month stood at $9.9 billion, unchanged from the same period last year.

Although steep discounts on Urals seen in early 2022 have narrowed over time, Russian crude still ranks among the most economically attractive grades in India's import portfolio. The purchases of Russian oil turned stronger and hit a five-month high of 1.8 million BPD in November ahead of the deadline for the US sanctions on two large Russian oil firms — Rosneft and Lukoil — to take effect. Refiners accelerated scheduling and speeded up vessel turnarounds, particularly for Rosneft- and Lukoil-linked cargoes.

Shipments of Russian grade accounted for over 35% of the country's total crude import mix in the month, as per data from Kpler.

Transmission delays need holistic approach

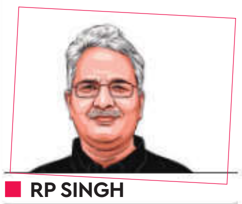

RP SINGH

I RECENTLY CAME across an article titled Transmission delays slow green push, published in *The Financial Express*, authored by Dhanendra Kumar, former Chairman of the Competition Commission of India, which primarily attributes transmission delays to Power Grid Corporation of India (POWERGRID). The article further suggests that POWERGRID's success in winning more than 50% of bids under the Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) framework has overstretched its execution capacity, leading to delays in commissioning transmission projects in alignment with solar and wind generation schedules. It is also stated that solar rich states, particularly Rajasthan and Gujarat, are incurring significant financial losses running into several crores due to these delays.

It has increasingly become a customary and convenient narrative to criticise public institutions in the value chain for systemic challenges, and in this case, POWERGRID has been singled out. The power sector is intrinsically a collaborative ecosystem, where generation, transmission and distribution entities operate alongside multiple government and statutory institutions, including the Ministry of Power, MNRE, CEA, CERC, CTU and Grid India, each with clearly defined roles in planning, regulation and system operation. Challenges faced by the sector therefore need to be viewed holistically rather than being attributed to any single institution.

It is pertinent to recall that POWERGRID was among the earliest institutions to promote private participation in transmission more than three decades ago. When direct private investment did not materialise due to high costs and perceived risks, POWERGRID pioneered the joint venture model and successfully implemented transmission projects with majority private sector equity. This approach helped build confidence, capability and scale in the transmission sector and laid the foundation for today's competitive TBCB framework.

As CMD for nearly 12 years, I steered POWERGRID during a period when the Indian power system was evolving and the high voltage transmission network was fragmented. During this phase, there was limited access to capital, technology, and skilled manpower.

Despite these constraints, POWERGRID undertook the task of building regional grids and integrating them into a unified National Grid, along with establishing modern State, Regional and National Load Despatch Centres. The National Grid along with state of art load despatch facilities, has eventually enabled market mechanism in the power sector and facilitated large scale integration of renewable energy generators.

POWERGRID commissioned most of its projects ahead of schedule, even during challenging periods, including the years following international sanctions imposed after the Pokhran nuclear tests. POWERGRID also stepped in to support the construction and commissioning of critical Raichur–Sholapur transmission link, which had earlier been allocated to a private developer but could not be completed. In fact, POWERGRID has consistently helped create an ecosystem that enabled the entry and sustained participation of private sector players in transmission development in India.

The recent CEA monthly monitoring reports present a factual and balanced picture of the current transmission landscape. As on date, 67 ISTS projects under the TBCB route have been commissioned, of which 39 projects worth approximately ₹47,571 crore have been executed by private transmission service providers and 28 projects worth about ₹40,635 crore by POWERGRID. Further, 91 ISTS projects are presently under execution, with 45 projects worth about ₹1.02 lakh crore being implemented by private developers and 46 projects worth about ₹1.28 lakh crore by POWERGRID. The CEA reports clearly depict that the performance of public and private developers is broadly comparable and that execution challenges are sector wide rather than institution specific, contrary to the impression conveyed in the article.

As on date, 67 ISTS projects under the TBCB route have been commissioned, of which 39 projects worth approx ₹47,571 cr have been executed by private transmission service providers

Both public and private developers are encountering similar and well recognised challenges. The first major challenge pertains to land compensation for Right of Way (RoW). With growing awareness of land value, and legal rights, landowners are increasingly opposing overhead transmission lines. Compensation demands have risen sharply, often beyond what is envisaged in standard norms. Solar and wind capacity are being developed in high-resource zones in Rajasthan, Gujarat, and in Andhra Pradesh. These zones have witnessed multiple transmission lines emanating from the same area to evacuate several GW of generation, leading to corridor congestion, cumulative RoW impact on the same villages and social fatigue and resistance due to repeated land acquisition requests. The government is seized with the matter and has already issued the supplementary RoW guidelines in March 2025 in this regard.

The second major challenge is severe supply chain and skilled manpower shortages. Rapid scaling of EHV and HVDC systems has exposed limitations in manufacturing capacity for transformers, reactors, GIS and HVDC equipment, as well as shortages of experienced EPC contractors and skilled field personnel. These constraints affect all developers equally.

The third challenge is compressed project timelines. A fundamental structural issue is the misalignment between the gestation periods of RE generation and transmission projects. Transmission timelines are often compressed drastically to "match" solar commissioning. Solar projects have very short gestation (8-12 months), while Transmission projects inherently require longer timelines. Based on my experience in the sector, a duration of 24–36 months based on the complexity of the projects is required considering various aspects viz planning and approvals, RoW negotiations, forest and statutory clearances and manufacturing, erection, and commissioning. The General Network Access Regulations of 2023 with all good intentions have facilitated connectivity of generating companies to the Grid in a flexible manner but have added operational problems to transmission developers.

The fourth major challenge is land acquisition for construction of greenfield substations, which requires identifying large contiguous land area. Many a times, both public as well as private TSPs find it difficult to identify such land in the vicinity of specified land coordinates.

It is also important to recognise that stranding of renewable generation due to delayed transmission build-out is not unique to India. Several countries pursuing rapid energy transition are facing similar issues, with large volumes of renewable capacity stranded due to transmission constraints. In fact, in several European countries, nearly 1700 GW RE generation is stranded due to delays in buildout of transmission system.

I have also interacted with the promoters of EPC companies and their sub contractors, who often receive only fifty to sixty percent of the originally envisaged execution time after resolution of Right of Way and land acquisition issues. This places enormous pressure on manufacturing schedules, supply chains and field execution resources.

Another dimension that merits serious consideration is distributed renewable energy. Viewing electricity consumption as a decentralised opportunity rather than relying predominantly on long distance evacuation can significantly reduce pressure on the transmission network. Rooftop solar, decentralised photovoltaic systems and energy storage can improve resilience, reduce losses and complement large interstate transmission systems, enabling a more balanced and sustainable evolution of the grid. The utilisation of decentralised energy resources mainly solar, wind, and biomass (on large scale) will bring public and consumers closer to the main players of power sector.

The critical insight is that transmission delays impacting renewable integration are not a reflection of developer competence or intent. They stem from structural, regulatory and administrative challenges that require coordinated solutions.

Advance corridor based planning, early engagement with local communities, realistic compensation frameworks, strengthening of domestic manufacturing and skilled manpower, and acceptance that transmission development must lead generation are essential.

I firmly believe that with collaboration rather than attribution, and with a shared understanding of sectoral realities, India can not only address current challenges but also surpass the Honorable Prime Minister's vision of achieving five hundred gigawatts of non fossil fuel capacity by 2030. In this journey, the proactive role played by the Ministry of Power in expanding TBCB coverage, standardising bidding documents and streamlining requirements deserves commendation, as it has strengthened redundancy and resilience in transmission execution capacity across the country.

(The writer is the former CMD of POWERGRID Ltd)

FROM THE FRONT PAGE

Adani gives wings to airport biz with ₹1L-cr investment

"RIGHT NOW, THE company is dependent on Adani Enterprises for support. While we are Ebitda-positive, the size of the capex means we still rely on the parent for cash. Over the next two to three years, on an ongoing basis, we should become self-sufficient," Adani said. The third trigger is the leasing or pre-leasing of at least one large city-side development project.

NMIA will be the largest airport in AAHL's portfolio once fully built out, with a capacity of up to 90 million passengers annually. Adani said traffic projections have effectively shifted by a year due to the later-in-the-year opening. The airport is expected to handle two to three million passengers in the first year of operations, around 12 million in FY27, and reach its Phase 1 capacity of 20 million passengers the following year.

Alongside NMIA's commissioning, AAHL has revised timelines for the redevelopment of Mumbai airport's Terminal 1. The phase-wise demolition of T1, earlier planned to begin in November, has been deferred to around 2030 and aligned with the construction and commissioning of NMIA's Terminal 2. "We are seeing the Mumbai Metropolitan Region as one integrated demand market. Even after adding 20 million capacity at NMIA, demand remains higher than supply," Adani said.

Construction of NMIA's next terminal is expected to begin within the next six months. Once Terminal 2 at NMIA becomes operational, likely within three to three-and-a-half years of construction start, AAHL expects a three-to-five-year window to demolish and rebuild Mumbai's T1. In the interim, the company is undertaking structural strengthening works at the existing terminal.

A significant portion of AAHL's investment plan is directed at non-aeronautical revenue streams. At NMIA, the company has around 240 acres of developable city-side land. "We will develop the first two phases ourselves. This will be a mixed-use development—commercial real estate, hospitality and retail," Adani said. The first phase will involve about 5 million sqft of development, with an additional 2 to 3 mn sqft planned to be added annually.

A key component of the city-side plan is a 25,000-seat indoor arena being developed in partnership with a global operator. "The arena is meant for live entertainment, but it can also be used as a convention centre," Adani said, adding that city-side leasing would be a major driver of long-term value creation.

₹39,618-cr deal: MUFG buys 20% in Shriram Fin

ON FRIDAY, THE company's stock hit an all-time high and closed at ₹905.10, up 4.10% on the NSE. Commenting on the deal, Uday Kotak, founder of Kotak Mahindra Bank, said on X, "Happy to see big ticket foreign investment in Shriram Finance by Mitsubishi UFJ, a reputed global bank and financial institution. Will Shriram continue as an NBFC which has huge potential without regulatory constraints of a banking company, or apply to become a bank in due course?"

As on September 30, the AUM of Shriram Finance rose 15.74% on year to ₹2.81 lakh crore, making it the second largest non-bank finance company in India. According to the investor presentation, the non-bank lender's AUM is expected to grow to ₹4 lakh crore by FY28.

The non-bank lender offers a wide range of products including commercial vehicle loans, MSME loans, tractors and farm equipment, gold loans, personal loans, and working capital loans, across its 3,225 branches.

The interest of Japanese investors in the Indian financial markets has picked up this year with Sumitomo Mitsui Banking Corporation's acquisition of a 20% stake in Yes Bank and Mizuho Securities buying a stake in KKR-backed investment bank Avendus. In the meeting, promoter Shriram Capital expressed its in-principle intent to explore a possible restructuring of its holdings. The proposed exercise may involve separating its lending and credit business from other business interests. However, the company said that the move is at a early stage and no final decision has been taken yet.

BoJ shadow over a low-cost loan window for India Inc

FOR INDIAN MARKETS, the BoJ rate hike could mean some moderation in foreign portfolio inflows, especially into equities and debt. However, the risk of a sharp reversal is limited. Japanese rates remain low by global standards, and India's growth premium is still compelling. At worst, companies may see higher equity market volatility rather than a sustained capital flight. Analysts said for companies with yen-denominated liabilities, a stronger yen increases repayment costs. However, such exposure is limited to a small set of large corporates. But structurally, India remains a strategic destination. Japan's demographic challenges and low growth at home mean overseas expansion is still essential. If anything, Japanese investors may become more selective, favouring stronger balance sheets and clearer governance.

Real interest rates need to be lower: RBI Guv

RAM SINGH, AN external member of the RBI's MPC, said a delay in the rate cut would hurt real GDP growth by keeping real interest rates unnecessarily above growth-supportive levels.

"The delay will extend the low-inflation phase, which has important implications both micro and macro including a less-than expected nominal GDP growth," he said.

Arcil

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)

विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए

एआरसीआईएल कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028।

वेबसाइट : https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी एक्ट) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

सामान्य जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) / गैरेन्टर (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास गिरवी रखी/प्रभारित की गई है, विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों ("एआरसीआईएल") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार), को अतिरिक्त ब्याज, शुल्कों और लागत आदि सहित बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से "जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहायता के आधार पर" पर बेचा जाएगा, जैसा कि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("रूल्स") के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 ("एक्ट") के प्रावधानों के संदर्भ में नीचे बताया गया है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गैरेन्टर / बंधककर्ता के नाम	एलएएन नंबर और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी सूचना की तिथि 02.09.2021 और 18.11.2021 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता: 1. मनीष श्रीवास्तव 2. अंजना श्रीवास्तव	कर्ज खाता क्र. HHLDCP00326204 और HHLDCP00458483 सम्मान कैपिटल लिमिटेड ("एससीएल") (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	एआरसीआईएल-ट्रस्ट-2025-007	रु. 19,74,703/- (रुपए उन्नीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ तीन मात्र) 26.06.2021 तक + अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय और रु. 6,35,651.36/- (रुपए छह लाख पैंतीस हजार छह सौ इक्यावन और छत्तीस पैसे मात्र) 07.11.2021 तक + अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय	वास्तविक कब्जा 30.09.2024 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड - 590 वर्ग फीट (सुपर निर्मित क्षेत्रफल)	रु. 2,77,000/- (रुपए दो लाख सतहत्तर हजार मात्र)	रु. 27,70,000/- (रुपए सत्ताईस लाख सत्तर हजार मात्र)	21.01.2026 को दोपहर 03.30 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण : अंजना श्रीवास्तव के स्वामित्व वाली संपत्ति :

अचल संपत्ति और निम्नानुसार सीमाबद्ध है : प्लॉट नंबर 4303-एफ़एफ़/सी, पहली मंजिल (पिछला भाग), खसरा नंबर 362/1, 362/2, 363/2, 373/1, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2 380 मिन, आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, मालिक नंबर II, टी.पी. स्कीम नंबर 3 (भाग-1), गंगा अपार्टमेंट, फरीदाबाद, हरियाणा - 122001।

लंबित मुकदमे जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य	ज्ञात ऋणभार/बकाया जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	बोली वृद्धि की राशि :	जैसा कि बोली के दस्तावेज में उल्लिखित है
डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से बनाया जाना है:	एआरसीआईएल-ट्रस्ट-2025-007	सममूल्य पर देय	
आरटीजीएस के विवरण	एआरसीआईएल-ट्रस्ट-2025-007, ट्रस्ट खाता संख्या - 57500001510599, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा : कमला मिल, मुंबई, आईएफएससी कोड : HDFC0000542.		
संपर्ककर्ता का नाम और नंबर	संजीव गोदारा - 0124-6910910; +91 70654 51024 (auctionhelpline@sammaancapital.com), मोनिका रुद्र दास - 022 6658 1327.		

नियम और शर्तें:

1. नीलामी बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेबसाइट https://auction.arcil.co.in के माध्यम से और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी ("एओ")/एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली न होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, "एओ" बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/ बोली रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को किसी भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, खरीद पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जिसका लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए इसका भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों, सुरक्षित संपत्ति के टाइटल और वैधानिक बकाया आदि सहित दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ/उचित आकलन करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन में एआरसीआईएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है और न ही होगा। एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी तृतीय पक्ष के किसी भी दावे/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालांकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. उधारकर्ता/गैरेन्टर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री सूचना को उपरोक्त उल्लिखित नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स के नियम 8 और 9 के तहत सूचना के रूप में मानें।
8. यदि ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को सुरक्षित संपत्ति को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से बेचने का अधिकार है।

सही/-
स्थान : फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 08.12.2025 — एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

फिजिक्सवाला लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. बी-8, टॉवर ए 101-119, नोएडा वन, नोएडा, सेक्टर 62, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201309
सीआईएन: U80900UP2020PLC129223, **फोन:** 0120-6618164
वेबसाइट: www.pw.live, **ई-मेल:** compliance@pw.live

पोस्टल बैलट की सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र"), सेबी द्वारा जारी किसी भी परिपत्र तथा अन्य लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, फिजिक्सवाला लिमिटेड ("कंपनी") ने **शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस से साथ व्याख्यात्मक विवरण का प्रेषण पूरा कर लिया है। यह नोटिस उन सभी सदस्यों को भेजा गया है जिनके नाम एवं ई-मेल पते **शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 ("कट-ऑफ तिथि")** को सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, ताकि निम्नलिखित विषयों पर विशेष प्रस्तावों को पोस्टल बैलट द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त की जा सके:

क्र. सं.	प्रस्तावों का विवरण
1	फिजिक्सवाला लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2022 के अनुसमर्थन के लिए अनुमोदन
2	फिजिक्सवाला लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, 2022 के तहत लाभों को ग्रुप कंपनी (कंपनियों), जिसमें सहायक कंपनी (कंपनियां) और सहयोगी कंपनी (कंपनियां) शामिल हैं, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, के पात्र कर्मचारियों तक विस्तारित करने के लिए अनुमोदन
3	फिजिक्सवाला लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2025 को अपनाने के लिए अनुमोदन
4	फिजिक्सवाला लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2025 के तहत लाभों को ग्रुप कंपनी (कंपनियों), जिसमें सहायक कंपनी (कंपनियां) और सहयोगी कंपनी (कंपनियां) शामिल हैं, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, के पात्र कर्मचारियों तक विस्तारित करने के लिए अनुमोदन
5	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन

एमसीए के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, नोटिस की भौतिक प्रति, पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ भेजने की आवश्यकता को स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों को अपनी सहमति या असहमति केवल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यक्त करनी होगी।

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. रिमोट ई-वोटिंग अवधि **शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.)** शुरू होगी और **रविवार, 18 जनवरी, 2026 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)** (दोनों दिन सम्मिलित) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य ने किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
2. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
3. यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.pw.live/investor-relations, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।
4. निदेशक मंडल ने श्री वैभव दंडावते (सदस्यता संख्या: A51538, सीपी नं.: 27947), को या उनकी अनुपस्थिति में सुश्री दीप्ति कुलकर्णी (सदस्यता संख्या: A34733, सीपी नं.: 22502), मेसर्स मकरंद एम. जोशी एंड कंपनी के पार्टनर, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट का संचालन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
5. रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते समय नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और **रविवार, 18 जनवरी 2026 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)** से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करें।
6. कोई भी सदस्य, जो कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच की तिथि के बाद यह नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वह नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पंजीकृत है, तो वह नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-ISR-1 भरकर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को जमा करें।
8. पोस्टल बैलट के परिणाम अधिकतम **मंगलवार, 20 जनवरी 2026** तक घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही साथ क्रमशः एनएसई और बीएसई को भी सूचित की जाएगी, जहां कंपनी के शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.pw.live/investor-relations और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किए जाएंगे।
9. ई-वोटिंग की अंतिम तिथि, अर्थात् **रविवार, 18 जनवरी 2026**, वह तिथि होगी जिस दिन अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित होने पर प्रस्तावों को पारित माना जाएगा।

यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual for Shareholder देखें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे-वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें या 022-48867000 पर कॉल करें या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को compliance@pw.live पर ई-मेल लिखें।

फिजिक्सवाला लिमिटेड के लिए
अजिंक्य जैन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: A33261

दिनांक: 19 दिसंबर 2025
स्थान: नोएडा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...the name you can BANK upon!

एआरएमबी, दक्षिण दिल्ली, चौथी मंजिल, 7, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066। फोन-011-47519273, ईमेल- cs4168@pnb.co.in

कब्जा सूचना
[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

अधोहस्ताक्षरी, पंजाब नेशनल बैंक के अधिकृत अधिकारी, एआरएमबी दक्षिण दिल्ली-110066 स्थित शाखा के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के तहत नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 20.08.2025 को उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं को **खाता संख्या (07587811000052), (064700LH00000245) और (07587815002907)** में नीचे दी गई सूची के अनुसार मांग नोटिस जारी किया।

श्री अमित कुमार यादव	श्री अमित कुमार यादव
1404-ए, टावर-15, पंचशील वेलिंगटन, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201016	1404-ए, 14वीं मंजिल, ब्लॉक-1, पंचशील वेलिंगटन, सेक्टर-1, ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट नंबर 6, क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप, डुंडाहेरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201016

नोटिस में उल्लिखित राशि, यानी 66,26,869.73 रुपये (छियासठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये और तिहत्तर पैसे मात्र) का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना था।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 17 दिसंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें। यह संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक की एआरएमबी, दक्षिण दिल्ली-110066 स्थित शाखा के प्रभार के अधीन होगी, जिस पर **66,26,869.73/- रुपये (छियासठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ उनहत्तर और तिहत्तर पैसे मात्र)** की राशि और उस पर ब्याज एवं लागत 19-08-2025 से लागू होगी। दिनांक 13 (2) की राशि 66,26,869.73 रुपये (+) को। **दिनांक: ब्याज: 93450.00 रुपये (+) – दिनांक: जमा: 99496.00 रुपये अतः, दिनांक: कुल 6620823.73 रुपये (छियासठ लाख बीस हजार आठ सौ तेईस और तिहत्तर पैसे मात्र)** देय है।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

अचल संपत्तियों का विवरण:

आवासीय अपार्टमेंट संख्या 1404-ए, 14वीं मंजिल (छत के अधिकार के बिना), ब्लॉक-1 पंचशील वेलिंगटन, सेक्टर-1, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट संख्या 6, क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप, डुंडाहेरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201016। (दस्तावेज संख्या 9566 दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत)

चल संपत्ति का बंधक

मारुति ब्रीजा – DL3CCP3839

दिनांक: 17.12.2025, स्थान: नई दिल्ली — **अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

SBI State Bank of India
GUJRANWALA TOWN NEW DELHI-09
PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORNAMENTS

The below mentioned borrowers has failed to repay the loan and redeem gold ornaments within the stipulated time inspite of several reminders. The Gold jewellery/ Ornaments pledged under the said loan account by the below listed borrowers will be sold in Public/ Online/ Private auction at our Branch premises on 20.12.2025 at 12:00 Noon

Terms and Conditions

1. Those willing to participate are requested to deposit an amount Rs. 10,000/- before 11:00 am on the auction date.
2. The bank reserves the right to accept or reject any bid without assigning any reason whatsoever
3. The Bank shall be at liberty to cancel auction process/tender at any time, before declaring the successful bidder, without assigning any reason.
4. Please note if the auction does not completed on same day, the same will follow the subsequent days on the same terms and conditions.
5. If the customer is deceased all the conditions pertaining to auction will be applicable to nominee/legal heir.

The borrower is hereby notified to pay the Principal along with up to date interest and ancillary expenses before the date of auction, failing which the pledged gold

Name and address of Borrowers	Amount	Gross/ Net weight
Shri Jitentra Kumar S/o Virendra Kumar House No.18 Gali No. 1/3 Near Tagore Public School Karawal Nagar New Delhi-110094	Rs. 180524/- plus interest and other charges	51.78/48.10

DATE 20.12.2025
PLACE: SBI GUJRANWAL TOWN
Sd/-
BRANCH MANAGER

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, डीबी रोहिणी शाखा
एफ-22 प्लॉट संख्या-35 36 सेक्टर-3 रोहिणी दिल्ली-110085

अनुलग्नक-1- मोचन सूचना
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के तहत सूचना

संदर्भ संख्या BOB/DBROHI/2025-26/141 — **दिनांक 08.12.2025**

प्रति,

राम प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र राम सुमेर विश्वकर्मा, डी-00/609, तीसरी मंजिल सेक्टर 1 रोहिणी अवंतिका दिल्ली 110085
श्रीमती बिंदू पत्नी राम प्रकाश विश्वकर्मा, डी-00/609, तीसरी मंजिल सेक्टर 1 रोहिणी अवंतीमडेल H1110085
रिया इंजीनियरिंग वर्क (प्रो. राम प्रकाश विश्वकर्मा), प्लॉट नंबर 140-06 केएच नंबर 155 जी/एफ गांव पूठ खुर्द दिल्ली 110039

विषय: प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के तहत सूचना।

संदर्भ:- 1. दिनांक 01.08.2025 को जारी मांग नोटिस, सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत जारी किया गया।
2. दिनांक 13.11.2025 को जारी कब्जा सूचना, सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत जारी किया गया।

जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सेक्टर 3 रोहिणी (डी.बी.आरओ.आई.एच.आई.) के अधिकृत अधिकारी, पता एफ-22 प्लॉट नंबर 35,36, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली 110085, जो कि एक सुरक्षित लेनदार बैंक है, ने सुरक्षा हित अधिनियम 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (जिसे आगे "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, दिनांक 01.08.2025 को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें आप उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

और चूंकि आप राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के साथ पठित होकर, सुरक्षित परिसंपत्तियों (जिन्हें इसके बाद उक्त संपत्तियां कहा गया है) का कब्जा ले लिया है, जिनका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है। [दिनांक 13.11.2025 के कब्जे के नोटिस की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है]।

गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा लेने के बाद भी आपने बैंक को उपरोक्त कब्जा नोटिस में उल्लिखित देय राशि का भुगतान नहीं किया है। गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर कब्जे के नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि, लागू ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय सहित भुगतान करें और नीचे उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाएं। यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करने और गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने में विफल रहते हैं, तो बैंक को ई-नीलामी नोटिस प्रकाशित करके सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ई-नीलामी की तिथि, समय और संपत्ति का आरक्षित मूल्य आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

गिरवी रखी गई संपत्तियों/संपत्तियों की अनुसूची

क्र. सं	चल/अचल संपत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार (प्रतीकात्मक/भौतिक)	कब्जे की सूचना के प्रकाशन की तिथि (केवल अचल संपत्ति के लिए)
01	संपत्ति संख्या 139 ब्लॉक डी पॉकेट 00 सेक्टर 1 रोहिणी दिल्ली 110085 उत्तर में – खुला क्षेत्र, पूर्व में – 9 मीटर चौड़ी प्रवेश सड़क दक्षिण में – प्लॉट संख्या 29, पश्चिम में – प्लॉट संख्या 140	13.11.2025	प्रतीकात्मक	16.11.2025

श्री राहुल जैन, अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालयः निकट तहसील कार्यालय, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी **पंजाब नैशनल बैंक,** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, सम्बन्धित शाखा** के प्रभारों के अधीन होगा। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

क्रं स.	शाखा एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि एवं कब्जे का प्रकार	बकाया राशि
1.	शाखा: जलालाबाद, बिजनौर **ऋणी एवं बंधककर्ता:** श्री विशाल पुत्र श्री बाबूराम एवं श्री बाबूराम पुत्र श्री होरी सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 144 का भाग, ग्राम- जालबपुर गूदर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर, (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 41.82 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री विशाल पुत्र श्री बाबू राम), बही नं0 1, जिल्द नं0 11485, पेज नं0 85-98, क्र0सं0 6871, दिनांक 30.05.2023, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, बिजनौर। सीमाएं:- उत्तरः 7 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः हेमराज की आराजी, पूर्वः मेनपाल की आराजी, पश्चिमः अशोक की आराजी।	07.10.2025	**16.12.2025** कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	रू0 **10,14,720.68** दिनांक 28.09.2025 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 28.09.2025 से
2.	शाखा: बुंदकी, बिजनौर **ऋणी एवं बंधककर्ता:** श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार एवं श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय मकान स्थित शेखपुर गढ़ू (हिमालयन कॉलोनी), परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, बिजनौर, (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 104.50 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार)। विक्रय विलेख नं0 4240, दिनांक 27.12.1995, पेज नं0 41-44, कुल माप क्षेत्रफल 104.50 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रामकली पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार एवं श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार की सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/2 हिस्सा श्रीमती रामकली ने एक रजिस्टर्ड वसीयत विलेख बही संख्या 03, जिल्द नं0 184, क्र0सं0 94, दिनांक 12.03.2014, पेज नं0 57-62 पर दर्ज किया था, जो उनकी मृत्यु के बाद श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार के नाम पर उनका 1/2 हिस्सा है, जो पूरी सम्पत्ति के मालिक है। सीमाएं:- उत्तरः चन्द्र प्रकाश की आराजी, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः दिनेश कुमार की आराजी, पश्चिमः दिनेश कुमार की आराजी।	08.10.2025	**16.12.2025** कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	रू0 **6,58,947.10** दिनांक 30.09.2025 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2025 से
3.	शाखा: कोतवाली बिजनौर **ऋणी एवं बंधककर्ता:** श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री कुमार सिंह पुत्री श्री योद्धा सिंह एवं श्रीमती सावित्री देवी **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 127 का भाग, ग्राम- आदर्श नगर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 69.63 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री कुमार सिंह पुत्री श्री योद्धा सिंह), बही नं0 1, जिल्द नं0 9357, पेज नं0 237-260, क्र0सं0 6491, दिनांक 06.06.2019, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बिजनौर। सीमाएं:- उत्तरः तेजपाल सिंह की आराजी, दक्षिणः प्रीतम रवी की आराजी, पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः रश्मि आदि की आराजी।	07.10.2025	**16.12.2025** कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	रू0 **9,69,505.81** दिनांक 30.09.2025 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 30.09.2025 से
4.	शाखा: नजीबाबाद चौक, बिजनौर **ऋणी एवं बंधककर्ता:** श्री मौहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मकबूल, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री विसंभर सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- चारबाग, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, बिजनौर, (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 146.37 वर्ग मीटर, (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मकबूल), बही नं0 1, जिल्द नं0 8137, क्र0सं0 2902, पेज नं0 85-116, दिनांक 31.03.2017, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, बिजनौर, (उ0प्र0)। सीमाएं:- उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः रोशन जहां का मकान, पूर्वः अजगर अहमद की आराजी, पश्चिमः 6 फीट चौड़ा रास्ता।	08.10.2025	**15.12.2025** कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	रू0 **15,43,314.00** दिनांक 30.09.2025 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2025 से
5.	शाखा: नजीबाबाद चौक, बिजनौर **ऋणी एवं बंधककर्ता:** श्री मौहम्मद अहसान खान पुत्र श्री यूसुफ खान, श्री शमशाद खान पुत्र मौहम्मद श्री सिदिक खान **(गारन्टर)** एवं श्री मौहम्मद फैसल पुत्र श्री मौहम्मद इरशाद **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- पठानपुरा, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 372.12 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद अहसान खान पुत्र श्री यूसुफ खान), बही नं0 1, जिल्द नं0 4705, पेज नं0 137-178, क्र0सं0 8992, दिनांक 07.08.2010, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, बिजनौर। सीमाएं:- उत्तरः रास्ता, दक्षिणः अबरार की आराजी, पूर्वः हबीब अहमद की आराजी, पश्चिमः रास्ता।	08.10.2025	**15.12.2025** कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	रू0 **10,19,483.53** दिनांक 28.09.2025 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 29.09.2025 से

दिनांक– 19.12.2025 — स्थानः बिजनौर — प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

Bank of India Relationsship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र
एम-125, ब्लॉक एम, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सम्पतियों की ई-नीलामी – 28.01.2026

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तीय असस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल समपत्तिया जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के अधार पर दिनांक **28.01.2026** को पूर्वा.**11.00** बजे से अपरा. **05.00** बजे को बेचा जाएगा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी द्वारा होगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है

क्र. सं.	शाखा और खाते का नाम	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	कब्जे का प्रकार	कब्जे की तिथि	क. आरक्षित मूल्य (लाख में) ख. ईएमडी (लाख में) ग. बोली वृद्धि राशि (लाख में)	निरीक्षण की तिथि और समय (पूर्वाह 11.00 बजे से शायं 05.00 बजे तक)	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और सम्पर्क नं.
1.	दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर जोन मेसर्स जनता ट्रेडर्स सीमेंट स्टोर (मालिक श्री संत कुमार)	मालिकः श्री संत कुमार निवासी वार्ड नं. 6, काठ मंडी महम – 124112, जिला। रोहतक गारंटरः श्रीमती सरोज पत्नी संत कुमार निवासी वार्ड नं. 6, काठ मंडी, महम – 124112, जिला, रोहतक	संपत्ति का पूरा हिस्सा जिसमें 510 वर्ग गज की भूमि और भवन शामिल है, यानी 6 कनाल 15 मरला की भूमि का 17/135वां हिस्सा, जो खेवट संख्या 1225 मि./1197 और खतौनी संख्या 1377, खसरा संख्या 890/6/2(6-15), मेहम, आबादी काठ मंडी रोड मेहम, जिला रोहतक-124112, हरियाणा में आता है, जिसका स्वामित्व श्रीमती सरोज पत्नी संत कुमार के पास है। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः काठ मंडी रोड, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः खाली प्लॉट "मूल रूप से टाइटल डीड के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति 510 वर्ग गज है, लेकिन वर्तमान भौतिक माप के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल 463.75 वर्ग गज है" नगरपालिका समिति मेहम ने 13.05.2025 और 18.07.2025 के लेटर से बैंक को बताया है कि इसमें से लगभग 81 वर्ग गज जमीन पहले ही सड़क चौड़ी करने के लिए तय की जा चुकी है। इसलिए, नीलामी के लिए बाकी बचा एरिया लगभग 382 वर्ग गज होगा।"	रुपये 91.38 लाख प्लस यूसीआई और अन्य शुल्क	भौतिक	16.06.2020	क) रू. 111.00 ख) रू. 11.00 ग) रू. 0.50	19-01-2026 पूर्वाह 02.00 बजे से शायं 05.00 बजे तक	श्री सुबे सिंह मोबाइल +919673790244

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://baanknet.com. वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकरण करना चाहिए और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी / आरटीजीएस / ट्रांसफर / चालान फॉर्म (https://baanknet-com) के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।
3) नीलामी की तिथि और समय : 28.01.2026 सुबह 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक असीमित 10 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
4) ई-नीलामी जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगा। बोली दाता सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएगें।
5) इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-निलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी BAANKNET के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 28.01.2026 तक ई-बिक्रय पोर्टल https://baanknet.com. पर जमा करना होगा।
6) उच्चतम /सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
7) बोली /खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के अंदर (बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के बिवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी /बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
9) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक - https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें
10) चूंकि यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को आगामी 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री की अग्रिम सूचना है।
11) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा के संस्करण के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक : 19.12.2025 — स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया